



# सरकारी राजह, उत्तर मदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारगा

# विघायी परिशिष्ट

心直到了。

·,(\*

हाः िभाग 1-खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश ग्रधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 23 जुलाई, 1977 श्राषाड 31, 1899 शक सम्वत्

> उत्तर प्रदेश सरकार विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2173/सत्रह-वि0-1--56-1977 लंखनऊ,\_23 जुलाई, 1977

> अधिसूचना शिविविध

'भारत का संविधान' के प्रनुच्छेद 201 के प्रधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधानं मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश ऋण प्रनुतोष विधेयक, 1977 पर दिनांक 23 जुलाई, 1977 ई0 को प्रनुमित प्रदान की खौर वह उत्तर प्रदेश ग्रिधिनयम संख्या 4,1977 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस ग्रिधिसुचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम, 1977

(उत्तर प्रदेश ग्रधिनियम संख्या 4, 1977)

[ ज़ैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुन्ना ]

भूमिहीन कृषि श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पियों, सीमान्त कृपकों, लघु कृषकों ग्रीर शहरी मजदूरों को ऋणभार से ग्रनुतोष की व्यवस्था करने के लिये

*ज्र*धिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठाइसर्वे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

ग्रध्याय एक प्रारम्भिक

- 1-(1) यह ग्रधिनियम, उत्तर प्रदेश ऋण श्रनुतोप श्रधिनियम, 1977 कहा जायगा।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 21 फरवरी, 1977 से प्रवृत्त समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम,

विस्तार ग्रौर

प्रारम्भ

परिभाषाएं

2--इस ग्रधिनियम में --

- (1) किसी ऋणी या लघु कृषक के सम्बन्ध में, "वार्षिक पारिवारिक श्राय" का तात्पर्य वर्ष 1976 में उसके कुटुम्ब के समस्त सदस्यों की सभी स्रोतों से वार्षिक ग्राय के योग से है;
- (2) "ग्रपील प्रधिकारी" का तात्पर्य इस अधिनियम के श्रधीन श्रपील की सुनवाई करने क प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी स्रधिकारी से है;
  - (3) "सिविल न्यायालय" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :---
    - (क) प्रान्तीय दिवाला श्रिधिनियम, 1920 के श्रधीन श्रधिकारिता का प्रयोग **२**रने वाला कोई न्यायालय ;
    - (ख) संयुक्त प्रान्त पंचायतराज ग्रिधिनियम, 1947 के श्रधीन स्थापित कोई न्याय पंचायत ;
    - (ग) प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय श्रिधिनियम, 1887 के श्रधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय ;
- (4) "लेनदार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं जिससे या जिसके संबंध में किसी ऋणी या लघु कृषक ने कोई ऋण लिया हो या उपगत किया हो, और इसमें ऐसे व्यक्ति के दायाद भी सम्मिलित हैं ;
- (5) "ऋण" में किसी लेनदार के प्रति नकद या वस्तु रूप में प्रतिभूत या श्रप्रतिभूत ऐसा समस्त दायित्व भी सिम्मलित है, जो सिविल न्यायालय की किसी डिकी या प्रादेश के अधीन या अन्य प्रकार से किसी ऋणी या लघु कृषक द्वारा देय हो, श्रौर इस श्रधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर विद्यमान हो, चाहे वह शोध्य हो या नहीं ;
- (6) "ऋणी" का तात्पर्य ऐसे भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमान्त कृषक, ग्रामीण शिल्पी या शहरी मजदूर से हैं जिस पर कोई ऋण वाकी हो, किन्तु इसमें कोई लघु कृपक सम्मिलित नहीं है :
- (7) किसी ऋणी के संबंध में, "कुटुम्ब" का तात्पर्य ऋणी, उस ऋणी की पत्नी या, यथास्थिति, उसका पति, श्रीर दोनों में स किसी एक या दोनों के अविवाहित अवयस्क श्रपत्यों से है:
- (৪) "भूमिहीन कृषि श्रमिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास इस श्रधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर कोई भूमि न हो और जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है, श्रीर इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मि लित है जो मजदूरी पर, चाहे उसका भुगतान नकद या वस्तु रूप में या अंशतः नकद या ग्रंशतः वस्तु रूप में किया जाय, श्रमिक के रूप में निम्नलिखित किसी एक या श्रधिक उपजीविका में लगा हो, श्रर्थात् --
  - (क) कृषि कार्य, जिसमें खेती करना श्रीर भूमि को जोतना भी सम्मिलत है;

(ख) दुग्धशाला उद्योग;

(ग) किसी उद्यानीय पदार्थ का उत्पादन, खेती, उ गाई ग्रौर कटाई :

(घ) पशुघन, मधुमक्खीया कुक्कुट पालन ; श्रीर

- (ङ) किसी फारम पर खती की कियाओं (जिसमें जंगलाती या काठवन्दी क्रियायें सम्मिलित हैं) से श्रानुषंगिक या सम्बद्ध रूप में किया गया कोई कार्य श्रीर फारम की उपज को बाजार के लिये तैयारी और कोल्ड स्टोरज या श्रन्य भाण्डागार या बाजार या परिवहन के लिये वाहन की सुपूर्वेगी;
- (9) "सीमान्त कृषक" का तात्पर्य किसी ग्राम में निवास करने जाले ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास इस ग्रधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर एक हैक्टर श्रसिचित भूमि से, श्रनधिक कृषि भूमि हो श्रीर जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि या ऐसी भूमि पर शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त अय हो और उसमें ग्रसामी के रूप में या साझीदार के रूप में खेती करने वाला व्यक्ति सिम्मलित है;
- (10) "ग्रामीण शिल्पी" का तात्पर्य गांव में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है, जिसके पास इस ग्रविनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर कोई कृषि भूमि न हो ग्रीर जिसकी जीविका का मुख्य साधन निम्नलिखित से सम्बन्धित शारीरिक श्रम है :--
  - (क) कृषि या उससे सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाने वाले परम्परागत श्रौजार, उपकरण श्रौर श्रन्य वस्तुश्रों या सामान का निर्माण या उनकी

(ख) ग्रपने ही श्रम से या ग्रपने कुटुम्ब के सदस्यों के श्रम से कोई ग्रन्य शिल्पकर्म :

- (11) "लघु कृषक" का तात्पर्य गांव में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास इस ग्रिधितम के प्रारम्भ के दिनांक पर एक हैक्टर से ग्रिधिक किन्तु दो हैक्टर से ग्रिधिक ग्रिसिवत भूमि हो, ग्रीर जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि या ऐसी भूमि पर शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त ग्राय हो ग्रीर उसमें ग्रसामी के रूप में या साझीदार के रूप में खती करने वाला व्यक्ति सम्मिलत है;
  - (12) "शहरी मजदूर" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है--
    - (क) जो किसी गांव में निवास न करता हो; और
    - (ख) जिसके कुटुम्ब के पास इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर कोई स्थावर सम्पत्ति न हो; श्रीर
    - (ग) जिसकी जीविका का मुख्य साधन स्वयं अपना या अपने कुटुम्व के सदस्य का गारीरिक श्रम है (जिसमें किसी शिल्प का व्यवसाय भी सम्मिलत है), श्रीर इसमें रिक्शा चालक या सफाईकार भी सम्मिलित है किन्तु इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जिस पर—
      - (एक) 31 मार्च, 1975 ग्रीर 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले दोनों वित्तीय वर्ष में ग्रायकर प्रधिनियम, 1961 के ग्रधीन ग्राय कर निर्घारित किया गया है;
      - (दो) 31 मार्च, 1975 ग्रीर 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले दोनों वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश विकी-कर ऐक्ट, 1948 या केन्द्रीय विकय-कर ग्रिधिनयम, 1956 के ग्रिधीन विकी-कर निर्धारित किया गया है ।
- (13) "गांव" का वही म्रर्थ होगा जो उसके लिये उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश मीर भूमि-व्यवस्था म्रधिनियम, 1950 की धारा 3 के खण्ड (25) में दिया गया है।

स्पष्टीकरण-एक--खण्ड (7) के प्रयोजनार्थ "भ्रवयस्क" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अपनी भ्राय के अट्ठारह वर्ष पूरे न किये हों।

स्पष्टीकरण-दो-खण्ड (9) ग्रीर (11) के प्रयोजनों के लिये एक हैक्टर सिचित भूमि दो हैक्टर ग्रसिचित भूमि के बरावर होगी।

स्पष्टीकरण-तीन-पद "सिचित भूमि" श्रीर "श्रसिचित भूमि" के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये उत्तर प्रदेश श्रधिकतम जोत सीमा श्रारोपण श्रधिनियम, 1960 में दिये गये हैं।

3—एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के उपवन्ध संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिण्ट तत्वों को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य की नीति को कार्यान्वित करने के लिये है।

घोषणा

# ग्रध्याय दो ऋणी को श्रनुतोष

4—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी संविदा, डिकी या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुये भी, और इस अधिनियम में अन्यया स्पष्ट रूप से किये गये उकत उपबन्ध के सिवाय—

ऋण चुकाना

- (क) इस ग्रविनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर किसी ऋणी द्वारा, जिसकी वार्षिक पारिवारिक ग्राय दो हजार चार सौ रुपये से श्रिधक न हो, देय प्रत्येक ऋण ब्याज सिह्त, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पूरी तौर से उन्मोचित समझा जायगा;
- (ख) ऐसे प्रारम्भ के दिनाक पर किसी ऋणी द्वारा जिसकी वार्षिक पारिवारिक प्राय दो हजार चार सी रुपये से प्रधिक हो, देय प्रत्येक ऋण ऐसे प्रारम्भ के दिनाक से पूरी तौर से उन्मोचित समझा जायगा, यदि —
  - (एक) उसने अपना ऋण चुकाने में, इस अविनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी समय, ऋण की धनराशि की दुगुनी या दुगुनी से श्रधिक राशि का भूगतान कर दिया है; या
  - (दो) वह अपना ऋण चुकाने में, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात् उतनी राशि की भुगतान करता है, जो ऐसा ऋण चुकाने में पहले ही दी गई किसी राशि को मिलाकर ऋण की धनराशि के दुगुने के बरावर हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा की किसी वात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि कोई ऋणी इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उसके द्वारा भुगतान किये गये या उससे वसूल किये गये ऋण के किसी भाग की वापसी का हकदार होगा ।

वें र य :

म प अल्ब

. ले की

न्य

ऋण चुकता होने का परिणाम 5—जहां किसी ऋणी द्वारा देय कोई ऋण धारा 4 के अधीन उन्मोचित हो गया हो, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी संविदा, डिकी या अन्य लिखत में किसी वात के होते हुये भी, इस प्रकार उन्मोचन के दिनाक से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्—

- (क) कोई ऐसा ऋण ऋणी से या उसकी किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति से या उसके विरुद्ध वसूली योग्य नहीं होगा ग्रौर न तो किसी ऐसी सम्पत्ति पर ऐसे ऋण से संबंधित किसी डिकी या ग्रादेश के निष्पादन में किसी प्रकार कुर्की, विकय या कार्यवाहो के लिये दायित्व होगा;
  - (ख) कोई सिविल त्यायालय किसी ऋण की, जिसमें व्याज भी, यदि कोई हो, सिम्मिलित है, वसूली के लिये ऐसे ऋणी के विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा:

परन्तु जहां कोई वाद या कार्यवाही ऐसे ऋणी और किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संयुक्त रूप से संस्थित की जाय, वहां इस खण्ड की कोई बात या वाद या कार्यवाही के अनुरक्षण के संबंध में, जहां तक उसका संबंध ऐसे अन्य व्यक्ति से हैं, वहां तक लागू न होगी;

(ग) ऐसे ऋणी के विरुद्ध किसी ऐसे ऋण की वसूली के लिये इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर लिम्बित समस्त वाद और कार्यवाही जिसमें अपील, पुनरीक्षण, कुर्की या निष्पादन की कार्यवाहियां भी सिम्मिलत हैं, उपशमित हो जायेंगी:

परन्तु इस खण्ड की कोई वात,---

- (एक) किसी ऐसी जंगम सम्पत्ति के विकय पर, जिसका भ्रायोजन श्रीर उपसहार ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किया गया हो, या
- (दो) किसी ऐसी स्थावर सम्पत्ति के विकय पर, जिसकी पुष्टि ऐसे प्रारम्भ के पूर्व की गई हो,

लागु न होगी;

- (घ) प्रत्येक ऋणी, जो किसी ऐसे ऋण के संबंध में दी गई किसी डिकी के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध हो, तुरन्त छोड दिया जायगा;
- (डा) किसी ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई प्रत्येक जंगम सम्पत्ति, ऐसे ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त हो जायगी ग्रौर लेनदार, यदि ऐसी सम्पत्ति उसके कब्जे में हो, उसे ऋणी को वापस करने के लिये वाध्य होगा।

लेनदार द्वारा विवरण श्रादि प्रस्तुत करना

- 6—(1) घारा 5 के खण्ड (ड) में निर्दिष्ट प्रत्येक लेनदार ऐसी ग्रविध के भीतर, जो विहित की जाय, उस क्षेत्र पर, जहां लेनदार के कारवार का सामान्य स्थान हो, ग्रिधकारिता रखने वाले तहसीलदार को ऐसे प्रपत्र में, जो विहित किया जाय, विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम, जिन्होंने उसके पास जंगम सम्पत्ति गिरवी रखी हो, ऐसी सम्पत्ति का स्वरूप ग्रौर वर्णन, उधार दी गई ग्रौर इस ग्रिधिनयम के प्रारम्भ पर देय धनरािष, व्याज की दर ग्रौर ऐसे ग्रन्य व्यौरे समाविष्ट होंगे, जो विहित किये जायं।
- (2) धारा 5 के खण्ड (ड) में निर्दिष्ट ऋणी भी श्रपने द्वारा गिरवी रखी गई जंगम सम्पत्ति की वापसी के लिये उस क्षेत्र पर, जहां उसके लेनदार के कारबार का सामान्य स्थान हो, श्रधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को श्रावेदन-पत्न दे सकता है।
- (3) उपधारा (1) के अधीन विवरण-पत्न या उपधारा (2) के अधीन आवेदन-पत्न प्राप्त होने पर और विहित रीति से जांच करने के पश्चात् तहसीलदार इस वात का अवधारण आदेश द्वारा करेगा कि,---
  - (एक) जहां उपधारा (1) के ग्रधीन लेनदार द्वारा विवरण-पत्न प्रस्तुत किया गया हो, वहां उन व्यक्तियों में से, जिन्होंने लेनदार के पास जंगम सम्पत्ति गिरवी रखी है, कौन व्यक्ति धारा 5 के अधीन अनुतोष के हकदार हैं, और
  - (दो) जहां उपधारा (2) के ग्रधीन ऋणी द्वारा ग्रावेदन-पत्न दिया गया हो,वहां क्या ऋणी धारा 5 के ग्रधीन श्रनुतीष का हकदार है,

ग्रौर लेनदार को ग्रादेश में विनिर्दिष्ट दिनांक पर या उसके पूर्व ऐसे ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई जंगम सम्पत्ति को प्रस्तुत करने का निदेश देगा।

(4) जहां ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई जंगम सम्पत्ति लेनदार के किसी अन्तरिती के कब्जे में हो, वहां लेनदार ऐसे अन्तरिती से उक्त सम्पत्ति का मोचन करेगा और उसे उपधारा (3) में आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक पर या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा।

- (5) यदि लेनदार उपधारा (3) के श्रधीन श्रादेश में यया निदेशित जंगम सम्पत्ति को प्रस्तत करने में विफल रहता है तो-
  - (क) तहसीलदार ;लेनंदार के या लेनदार के अन्तरिती के, जो धारा 25 के खण्ड 🗸 (घ) या खंड (ङ) में निर्दिष्ट वैंक से भिन्न हो, परिसर में प्रवेश कर सकता है श्रीर तलाशी ले सकता है ग्रीर उक्त सम्पत्ति का ग्रिभग्रहण कर सकता है; ग्रीर
    - (ख) जहां उक्त जंगम सम्पत्ति धारा 25 के खण्ड (घ) या खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी वैंक के कब्जे में हो, वहां तहसीलदार-
      - (एक) श्रादेश द्वारा, उक्त बैंक को निदेश देगा कि श्रादेश में विनिर्दिष्ट दिनांक पर या उसके पूर्व तहसीलदार के पास उक्त जगम सम्पत्ति, ऐसे विवरण-पत्न सहित, जिसमें उक्त सम्पत्ति के संबंध में उक्त संस्था को देय राशि का विनिर्देश होगा, जमा को जाय भीर साथ ही साथ उक्त बैंक को इस भ्राणय का प्रमाण-पत्न जारी करेगा कि उक्त सम्पत्ति के संबंध में उक्त बैंक को देय राशि को लेनदार से इस प्रकार वसूल किया जायगा मानों वह भू-राजस्व की वकाया हो और उक्त वैक को ग्रदा किया जायगा,
      - (दो) उक्त बैंक द्वारा तहसीलदार के पास उक्त सम्पत्ति जमा करने पर, जंगम सम्पत्ति की प्राप्ति लिखित रूप में स्वीकार करेगा और लेनदार से ऐसी राशि को वसूल करने की कार्यवाही इस प्रकार करेगा, जो उक्त बैंक को उक्त सम्पत्ति के संबंध में देय हो, मानों वह भू-राजस्व की वकाया हो ग्रौर ऐसी वसूली पर उसका भगतान उक्त वैंक को करेगा।
- (6) गिरवी रखी गई सम्पत्तिं के इस प्रकार प्रस्तुत या वसूल या जमा किये जाने के पश्चात तहसीलदार उक्त सम्पत्ति ऋणी को दे देगा।
- (7) उपधारा (3) के अधीन मामले का अवधारण लिम्बत रहने तक, कोई लेनदार या लेनदार का ग्रन्तरिती, ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई कोई जंगम सम्पत्ति न तो वेचेगा, न गिरवी रखेगा और न भ्रन्य प्रकार से निस्तारित करेगा।
- (8) उपधारा (5) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई किसी वात के होते हये भी, तहसीलदार---
  - (क) लेनदार के या लेनदार के अन्तरिती के, जो धारा 25 के खंड (घ) या खंड (ङ) में निर्दिष्ट बैंक से भिन्न हो, परिसर में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है और ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई जंगम सम्पत्ति का ग्रभिग्रहण. श्रीर उसकी सुरक्षित ग्रभिरक्षा के लिये प्रवन्ध कर सकता है;
  - (ख) इस वात का ग्रवधारण करने की कार्यवाही करेगा कि इस प्रकार ग्रभिग्रहण की गई कौन सी जंगम सम्पत्ति ऋणी को निर्मुक्त की जाय और तदनुसार आदेश देगा ।
  - (9) तलाशी लेने ग्रीर ग्रभिग्रहण करने से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 और 165 के उपवन्ध यथासम्भव, उपधारा (5) और (8) के ग्रधीन तलाशी लिये जाने ग्रीर स्रभिग्रहण करने के संबंध में लागृ होंगे।

7—बारा 6 के ग्रधीन तहसीलदार का प्रत्येक ग्रादेश, धारा 8 के ग्रन्तर्गत ग्रपील के ग्रधीन रहते हुये, ग्रन्तिम होगा ग्रीर किसी न्यायालय में उस पर श्रापत्ति नहीं की जायगी।

तहसीलदार के भ्रादेश का ग्रन्तिम होना

- 8-(1) धारा 6 के ग्रघीन तहसीलदार द्वारा दिये गये ग्रादेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी प्रविध के भीतर ग्रीर ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, ग्रपील ग्रधिकारी को श्रपील कर सकता है।
- तहसीलदार के ग्रादेश के विषद्ध ग्रपील

संबंधी

- (2) अपील का विनिश्चय करने में अपील अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का धनुसरण करेगा जो विहित की जाय और ऐसी भ्रापील पर ऐसे अधिकारी का विनिश्चय भ्रन्तिम होगा और किसी न्यायालय में उस पर भ्रापत्ति नहीं की जा सकेगी।
- 9-(1) इस ग्रधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् ऋणी द्वारा देय किसी ऋण के संबंध में कोई व्याज नहीं लगाया जायगा ।

व्याज विशेष उपवन्ध

(2) ऐसे प्रारम्भ के पूर्व का किसी ग्रवधि के लिये किसी ऋण पर देय व्याज की गणना उक्त ऋण पर किसी विधि, रूढ़िया संविदा के प्रधीन लागू दर स, या छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, जो भी कम हो, की जायगी और समस्त्र धनराशि को जो श्रदा या जमा की जाय, प्रथमत: व्याज की मद में और शेष को, यदि कोई हो, मूलधन की मद में जमा किया जायगा।

# ग्रध्याय तीन

लघ् कषकों से वसल किये जाने योग्य ऋण का भ्रधिस्थगन

कतिपय ऋण की . वसुली का स्थगन

- 10—(1) इस ग्रिधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर किसी लघु कृषक द्वारा देय किसी ऋण या उसके भाग की जिसमें उसका ब्याज भी सम्मिलित है, वसूली के लिए ऐसे भारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की ग्रविध के लिये उसके विरुद्ध कोई वाद संस्थित नहीं किया जायगा और ऐसे ग्रनुतोप के लिए पहले से लिम्बत प्रत्येक वाद ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष की ग्रविध के लिये स्थगित रहेगा।
- (2) ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व उपगत दायित्व के श्राघार पर सिविल न्यायालय द्वारा पारित धन के लिये किसी डिक्री के निष्पादन में सभी कार्यवाहियां या पुरोबन्ध या विक्रय के लिये किसी प्रारम्भिक डिक्री को ग्रन्तिम रूप देने की कार्यवाहियां या विक्रय के लिये किसी ग्रंतिम डिक्री के निष्पादन की कार्यवाहियां, जिसमें वाद-ऋणी या प्रतिवादी लघु कृष्क हो, वाद-ऋणी या प्रतिवादी द्वारा ग्रावेदन करने पर उसके विरुद्ध उक्त दिनांक से एक वर्ष की ग्रविध के लिये स्थिगत कर दी जायेगी।
- (3) उपघारा (1) या उपघारा (2) के ग्रधीन स्थिगत डिकी के निष्पादन में खड़ी फसल, कृषि उत्पादन, पशुधन ग्रीर शीघ्र नष्ट होने वाली ग्रन्य जंगम सम्पत्ति की सभी कुर्की प्रत्याहृत हो जायगी।

निरोघ से निर्मुक्ति

- 11—(1) किसी ऋण के संबंध में किसी डिकी या आदेश के निष्पादन में इस अधिनियम के प्रारम्भ से सिविल कारागार में निरुद्ध प्रत्येक लघु कृषक छोड़ दिया जायगा।
- (2) कोई लघू कृषक किसी भी स्थिति में, किसी ऐसी डिकी के निष्पादन में, इस ग्रधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष की अविध तक गिरफ्तार या सिविल न्यायालय में निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा।

स्थान श्रविध बढ़ाने की राज्य सरकार की शक्ति कतिपय उपवन्ध लघु कृषकों पर लागु होंगे 12--राज्य सरकार, ग्रधिसूचना द्वारा, धारा 10 या धारा 11 में निर्दिष्ट एक वर्ष की ग्रविध को एक वर्ष से ग्रनिधक ग्रविध के लिये ग्रग्रतर वढ़ा सकती है।

13—धारा 9 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित लघु कृषक पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे ऋणी पर लागू होते हैं।

लागू हाग ्कृतिपय ग्रन्तरण शन्यंकरणीय होंगे

14—िकसी लघु कृषक द्वारा, जिसके विरुद्ध निष्पादन की कार्यवाही इस श्रिधिनियम के श्रधीन या घारा 36 की उपधारा (1) के द्वारा निरिसत श्रिधिनियमितियों में किसी के श्रधीन स्थिगत कर दी गई है, सम्पत्ति का प्रत्येक अन्तरण उस लेनदार के, जिसका दावा ऐसे लघु कृषक के विरुद्ध विफल या विलिम्बित हो गया है, विकल्प से शून्यकरणीय होगा।

परिसीमा ग्रवधि का ग्रपवर्जन 15 —िकसी ऋण की वसूली के लिए किसी वाद, अपील, आवेदन या अन्य कार्यवाही के लिए (जिसमें ऐसे वाद, अपील या कार्यवाही में दी गई डिकी के निष्पादन के लिये कोई आवेदन-पत्न भी सिम्मिलत है) परिसीमा अवधि की गणना करने में उस अवधि का, जिसमें इस अध्याय के अधीन ऐसी कार्यवाही विजत या स्थिगत की गई हो, अपवर्जन किया जायगा।

# ग्रध्याय चार

लघु क्षकों के ऋण की माता को घटाना

ऋण परिशोधन प्रधिकारियों की नियुक्ति 16—राज्य सरकार, लघु कृषकों और उनके लेनदारों के बीच ऋण के परिशोधन के प्रयोजनाथ, श्रांधसूचना द्वारा, ऋण परिशोधन श्रधिकारी नियुक्त कर सकती है श्रीर इसी प्रकार वह क्षत्र निर्धारित कर सकती है जिसमें वे श्रपनी श्रधिकारिता का प्रयोग करेंगे।

ऋणका श्रव-धारण करने के लिये श्रावेदन-पत्न

- 17—(1) लघु कृषक, इस श्रिधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से छः मास की श्रविध के भीतर उस क्षेत्र के, जिसमें ऐसा कृषक निवास करता है या उसकी कोई भूमि है, ऋण परिशोधन श्रिधिकारी को श्रपने ऋण के श्रवधारण के लिये श्रावेदन कर सकता है।
- (2) जब तक लघू कृषक ने पहले से ही उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन-पत्न न दिया हो, उसके लेनदारों में से कोई उसी रीति से उस प्राधिकारी को, जिसको और जिस रीति से, लघु कृषक ने उस उपधारा के अधीन प्रम्नास्पद ऋण के अवधारण के लिये आवेदन-पत्न दिया होता, आवेदन-पत्न दे सकता है।
- (3) इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन-पत्न पर हस्ताक्षर और सत्यापन आवेदक द्वारा बाद-पत्नों पर हस्ताक्षर और सत्यापन करने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विहित रीति से किया जायगा:

परन्तु उपधारा (2) के श्रधीन ग्रावेदन-पत्न की स्थिति में विषय वस्तु का सत्यापन करने के लिये लेनदार केवल वहां तक वाध्य होगा जहां तक वह उससे भ्रवगत हो ।

(4) यदि एक ही ऋण के सम्बन्ध में एक से ग्रधिक प्राधिकारी को श्रावेदन-पत्र दिये जायं, तो ऐसे ग्रावेदन-पत्न, ऐसे नियमों के श्रधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाये जायं, एक ही श्राधिकारी को ग्रन्तरित कर दिये जायेंगे ग्रीर उसी के द्वारा उन पर कार्यवाही की जायगी।

18--धारा 17 क ग्रधीन लघ कृषक द्वारा दिये जाने वाले प्रत्येक ग्रावेदन-पत्न में निम्नलिखित स्थीरा दिया जायगा, ग्रर्थात्-- श्रावेदन-पत्न में दिया जाने वाला ज्यौरा

- (क) लघु कृषक का नाम ग्रीर वह स्थान जहां वह निवास करता है या उसकी भूमि है;
- (ख) लेनदार का नाम ग्रौर पता;
- (ग) लघु कृषक द्वारा प्रत्येक लेनदार को देय सभी ऋणों का व्यौरा;
- (घ) लघु कृषक की समस्त सम्पत्ति का व्यौरा, साथ ही साथ ऐसी सम्पत्ति का अनुमानित मृत्य ग्रीर वह या वे स्थान जहां पर ऐसी सम्पत्ति हो;
  - (ङ) वर्ष 1976 के पूर्ववर्ती वर्ष में लघु कृषक की वार्षिक पारिवारिक ग्राय का व्यौरा।

19—(1) धारा 17 के ग्रधीन ग्रावेदन-पद्ध प्राप्त होने पर, ऋण परिशोधन ग्रधिकारी, सम्बद्ध पक्षों को उपस्थित होने ग्रौर सुने जाने का ग्रवसर देने के पश्चात् प्रश्नास्पद ऋण के सम्बन्ध में मूल धनराशि ग्रौर इस ग्रधिन्यम के प्रारम्भ होने के दिनांक तक छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का ग्रवधारण करेगा।

ऋणका **ग्रव•** धारण

- (2) ऋण परिशोधन अधिकारी का उपधारा (1) के अधीन ऋण की धनराणि अवधारण करने वाला प्रत्येक विनिश्चय, धारा 23 के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और किसी सिविल न्यायालय में उस पर आपित्त नहीं की जा सकेगी।
- (3) इस ग्रध्याय के ग्रधीन किसी कार्यवाही में ऋण परिशोधन ग्रधिकारी द्वारा ग्रनसरण की जाने वाली प्रक्रिया वैसी होगी जैसी विहित की जाय।
- 20—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, या किसी संविदा, डिकी या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, किसी लघु कृषक के ऋण को व्याज सिहत चुकाने का दायित्व जिस वर्ष में धारा 17 के अधीन आवेदन-पत्न दिया जाय उसके पूर्ववर्ती वर्ष में, वृिष उपज के स्थूल मूल्य के बीस प्रतिशत के सात गुने से अधिक नहीं होगा और ऐसा दायित्व, धारा 19 के अधीन उसके निर्धारण के दिनांक से संगणित सात वर्षों की अविधि में प्रसारित होगा।

ंलघुकृषक का ग्रधिकतम दायित्व

21---प्रत्येक ऋण, जितना वह धारा 19 के ग्रधीन ग्रवधारित लघु कृषक द्वारा देय धनराशि से ग्रधिक है, ऐसे ग्रवधारण के दिनांक से चुकता हो जायगा ग्रौर उसकी वसूली नहीं की जायगी।

ऋण की श्रिति-रिवत धनराशि का चुकता होना कतिपय वादों पर

22--तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी,--

(क) कोई सिविल या राजस्व न्यायालय किसी ऋण के सम्बन्ध में, जिस पर इस भ्रध्याय के उपबन्ध लागू होते हैं, लघु कृषक के विरुद्ध वाद, भ्रावेदन-पत्न या कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा:

भरता, (ख) इस श्रधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर किसी ऐसे न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रत्येक ऐसा बाद, श्रावेदन-पत्न या कार्येवाही उपशमित हो जायगी;

(ग) उस ऋण के सम्बन्ध में, जिस पर इस ग्रध्याय के उपबन्ध लागू होते हैं, सिविल न्यायालय की कोई डिक्की निष्पादित नहीं होगी।

ग्रपील

रोक

- 23--(1) धारा 19 के अधीन ऋण अवधारण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे अवधारण के दिनांक से तीस दिन के भीतर, विहित रीति से, अपील अधिकारी को अपील कर सकता है।
- (2) ऐसी ग्रपील के सम्बन्ध में देय कीस ग्रौर श्रपील ग्रधिकारी द्वारा ग्रनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।
- (3) अपील अधिकारी, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि या उसका उपान्तरण कर सकता है या ऋण परिशोधन-अधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने का निदेश दे सकता है, जैसी अपील अधिकारी उचित समझे ।
- (4) इस घारा के अधीन अपील अधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक श्रादेश अन्तिम होगा स्रोर किसी न्यायालय में उस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकेंगी।

24—धारा 23 के ग्रधीन ग्रपील ग्रधिकारी का प्रत्येक ग्रादेश ग्रौर उसके ग्रधीन रहते हुए, लघु क्रथक द्वारा देय ऋण का ग्रवधारण करने का ऋण परिशोधन ग्रधिकारी का प्रत्येक ग्रादेश, क्षेत्रीय ग्रधिकारिता रखने वाले मुंसिफ द्वारा इस प्रकार निष्पादित किया जायगा मानों वह उस न्यायालय द्वारा प्रदत्त कोई डिकी या ग्रादेश हो।

अपील अधिकारी और ऋण परिशोधन अधिकारी के आदेश का निष्पादन

# श्रध्याय पांच

#### ग्रपवाद

श्रिधित्यम के उपवन्ध कतिपय ऋण श्रीर दायित्व पर लागू न होंगे

- 25—इस अधिनियम की किसी वात का प्रभाव ऋणी या लघु कृपक के निम्नलिखित मदों में से किसी के अधीन आने वाले किसी ऋण या अन्य दायित्व (जिसमें व्याज देने का कोई दायित्व सिम्मलित है) पर नहीं पढ़ेगा, अर्थात्—
  - (क) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को देय कोई ऋण (जिसमें कोई कर, उपकर या फीस भी सिम्मिलित है);
  - (ख) कम्पनी ग्रिधिनियम, 1956 की धारा 617 के ग्रर्थान्तर्गत किसी सरकारी कम्पनी को देय कोई ऋण;
  - (ग) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्यापित भारतीय जीवन बीमा निगम, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित किसी अन्य निगम की देय कोई ऋण;
    - (घ) कोई ऋण जो निम्नलिखित को देय हो--
      - (एक) वैकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 में यथा परिमापित वैकिंग कम्पनी ;
      - (दो) स्टेट वैंक श्राफ इण्डिया ऐक्ट, 1955 के श्रधीन संघटित स्टेट वैंक श्राफ इण्डिया ;
      - (तीन) स्टेट वैंक श्राफ इण्डिया (सिन्सिडियरी वैंन्स) ऐक्ट, 1959 में यथा-परिभाषित सिन्सिडियरी वैंक ;
      - (चार) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का ग्रर्जन ग्रौर ग्रन्तरण) ग्रिधिनियम, 1970 के ग्रिधीन संघटित कोई तत्सम्बन्धी नया बैंक;
      - (पांच) बैंककारी विनियम ग्रिधिनियम, 1949 की घारा 51 के ग्रिधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रिधिसूचित वैंककारी संस्था;
      - (छः) ऐग्रीकल्चरल रिफाइनेन्स ऐण्ड डेवलेपमेन्ट कारपोरेणन ऐक्ट, 1963 के ग्रधीन संघटित कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम ;
      - (सात) कम्पनी ग्रधिनियम, 1956 के ग्रधीन निगमित उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड नामक कम्पनी ;
      - (प्राठ) कम्पनी ग्रिधिनियम, 1956 के ग्रिधीन निगमित एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड नामक कम्पनी ;
      - (नौ) रीजनल रूरल बैंक ऐक्ट, 1976 के ग्रधीन स्थापित रीजनल रूरल बैंक; ग्रीर
      - (दस) इस श्रधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा वैंक के रूप में श्रिधिस्चित कोई श्रन्य वित्तीय संस्था;
  - (ङ) उत्तर प्रदेश सहकारी सिमिति श्रिधिनियम, 1965 के श्रधीन निबन्धित या निबन्धित समझी गयी किसी सहकारी सिमिति को जिसमें कोई भूमि विकास वैंक भी सिम्मितित है, देय कोई ऋण;
  - (च) ऋणी या लघु क्रुपक को किराये पर दी गई किसी सम्पत्ति के, जिसमें कृषि भूमि भी सम्मिलित है, सम्बन्ध में देय कोई किराया;
    - (छ) न्यास-भंग से उद्भूत कोई दायित्व या कोई ग्रपकृत्य सम्बन्धी दायित्व;
  - (ज) की गयी सेवाओं के लिये वैतन के रूप में या भ्रन्य प्रकार से देय मजदूरी या पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कोई दायित्व;
  - (झ) भरण-पोषण के सम्बन्ध में कोई दायित्व, चाहे वह सिविल न्यायालय की डिकी के श्रधीन हो या श्रन्यथा;
  - (ञा) कोई ऋण जो किसी ऋणी या लघु कृषक द्वारा कय की गई सम्पत्ति के चाहे जगम हो या स्थावर, मृत्य या भाटक-क्रय करार के अधीन देय किसी धनराशि के बारे में हो;
  - (ट) किसी व्यक्ति द्वारा ऋणी या लघु क्रुपक को वाद में वेचे जाने वाले किसी माल या सम्पत्ति के मूल्य के रूप में दिया गया कोई ग्रग्रिम;
  - (८) किसी व्यक्ति द्वारा सेवा-संविदा के अनुसार किसी ऋणी या लघु कृपक को उसकी प्रेरणा पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिये दिया गया मजदूरी का कोई अग्रिम, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में या ग्रंशतः नकद ग्रौर ग्रंशतः वस्तु के रूप में हो :

परन्तु तय की गई मजदूरी की दर विधि द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम न हो;

- (ह) सम्पत्ति के विभाजन या बंटवारे के कारण देय कोई प्रतिकर या उत्तर प्रदेश जोत चक्रबन्दी भ्राधिनियम, 1953 की धारा 29-क में निदिष्ट कोई प्रतिकर;
- (ड) ऋणी की उसके सेवायोजक द्वारा किसी विनिद्धिष्ट प्रयोजन के लिये यथा उत्सव, चिकित्सा, शिक्षा, विवाह या अंत्येष्टि किया सम्बन्धी व्यय की पूरा करने के लिए दिया गया कोई ऋण या अग्रिम;
  - (ण) भू-राजस्य की बकाया की भांति वसूल किय जाने योग्य कोई राशि ।

# ... प्रध्याय छः

## प्रकोर्ण

26--(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस प्रधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात्-

(क) इस मधिनियम के उपवन्ध के उल्लंघन में किसी ऋणी या लघु कृपक से कोई ऋण या उसका भाग जिसमें व्याज भी सम्मिलित है, वसूल करता है, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही में किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष साग्रय कोई मिथ्या अभिकथन करता है, या

- (ग) किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष सागय कोई मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत करता है; या
  - (घ) किसी ऐसे कार्यं का दुष्प्रेरण करता है,

सिद्ध-दोष होने पर, कारावास से जिसकी भ्रविध छः मास तक हो सकती है या जुर्माना से, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

- (2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो धारा 6 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण-पत्न प्रस्तुत करने में या उक्त धारा के प्रधीन दिये गये ग्रादेश या निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहता है या ग्रन्य प्रकार से उक्त धारा के उपबन्धों का उल्लंधन करता है, कारावास से, जिसकी भविष्य एक वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना से, जो 5,000 हपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।
  - (3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के श्रधीन दण्डनीय प्रत्येक श्रपराध संज्ञेय होगा।
- (4) उपधारा (1) के ग्रधीन दण्डनीय प्रत्येक ग्रपराध पर सरसरी तौर पर विचार किया जायगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 से 265 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपवन्ध यथाशक्य, ऐसे विचारण पर लागू होंगे।

27—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तो अपराध किये जाने के समय कम्पनी के कार्य-संचालन के लिये उसका प्रभारी और कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति और कम्पनी भी अपराध का अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा:

परन्तु इस उपघारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह सावित कर दें कि प्रपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया या उसने उस प्रपराध के किये जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी:

(2) उपघारा (1) में किसी वात के होते हुए भी, जब कि इस मिवितयम के अधीन कोई मिपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मित या मौनानुमित से किया गया है या ऐसा अपराध उसकी और से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जायगा और तद्नुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण --इस धारा के प्रयोजनों के लिये--

- (क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से हैं भीर इसमें कोई फर्में या व्यक्तियों का भ्रत्य समुदाय भी सम्मिलित हैं; भीर
  - (ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदंशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

28--किसी वाद या कार्यवाही में यह साबित करने का भार कि ऋणी इस प्रिधिनियम के भिधीन संरक्षण का हकदार नहीं है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के दोते हुए भी, जैनदार पर होगा।

शास्त्रि

ंकम्पनियों द्वारा अपराध

सबूत का भार

अधिकारियों की यक्ति

- 29--(1) कोई तहसीलदार या ऋण परिम्रोधन अधिकारी या कोई अपील अधिकारी पक्षी भीर साक्षियों को बुलाने श्रीर उनका परीक्षण करने श्रीर दस्तावेज प्रस्तुत करने से सम्बन्धित उन समस्त ऐसी शनितयों का प्रयोग कर सकता है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा किसी सिविल न्यायालय<sup>ः</sup> को प्रदत्त है'।
  - (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी श्रधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 श्रीर 228 के प्रयोजनार्थ :यायिक कार्यवाही समझा जायगा ।

विनिश्चय का अन्तिम होना

30--यदि इस ग्रिधिनियम के ग्रिधीन किसी कार्यवाही में यह प्रश्न उठे कि कोई ऋण या दायित्व ऋण है या नहीं या कि कोई व्यक्ति ऋणी या लघु कृषक है, या नहीं तो, यथास्थिति, तहसीलदार या ऋण परिशोधन अधिकारी का विनिश्चय, धारा 8 या घारा 23 के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हए, अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता

- 31---तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी वात के होते हुए भी, कोई सिविल न्यायालय,--
- (क) इस ग्रंघिनियम के ग्रंघीन किसी प्रक्रिया की विधिमान्यताया इस ग्रंधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश की वैद्यता पर आपत्ति करने वाला कोई वाद, आवेदन-पत्र या कार्यवाही,
- (ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही को प्रभावित करने वाले व्यादेश के लिमे कोई वाद, या भ्रावेदन-पन्न,
  - -(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों से भिन्न प्रकार से कोई अपील या पुनरीक्षण<sup>्</sup> ग्रहण नहीं करेगा।

ऋण परिशोधन ब्रधिकारी के समक च पस्थिति

32--इस ग्रिविनयम के प्रधीन किसी कार्यवाही का कोई पक्ष किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार न होगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा में.पद 'विधि व्यवसायी' का वही अर्थ होगा जो अधिवक्ता श्रिवित्यम, 1961 की धारा ? में उसके लिये दिया गया है।

परिसीमा ग्रधि-नियम का लाग होना

33---परिसीमा प्रधिनियम, 1963 की घारा 4, 5 ग्रीर 12 के उपबन्ध इस ग्रधिनियम के श्रधीन कार्यवाहियों पर लाग होंगे।

कठिनाई दूर करने की शक्ति

- 34-(1) यदि इस ग्रिधिनियम के उपवन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपवन्य बना सकती है या ऐसे निदेश दे सकती है जो इस प्रधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जिन्हें वह कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन समझे।
- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई अबिश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो क्षे के पश्चात नहीं जारी किया जायगा।

नियम वनाने की सनित

35--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिमे नियम बना सकती है।

निरसन तथा प्रवाद

- 36-(1) उत्तर प्रदेश मूमि-हीन कृषि श्रमिक ऋण अन्तोष अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश मामीण निवल वर्ग (ऋण की वसूत्री का अधिस्थान) प्रधिनियम, 1975 भीर उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (द्वितीय) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपवारा (1) के अधीन निरसित किसी अधिनियमिति के अधीच फ़त कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी।

उत्तर प्रदेश श्रधिनियम संख्या 12 1975 **उ**त्तर प्रदेश द्धधिनियम् संस्था 51 1975 जत्तर प्र**दे**≢

**प्रधिनियम** 

संख्या 25.

संख्या ३६,

1963

1961. **प्रधिनियम** 

स्रधादेश संख्या 13,

1977

# No. 2173(2)/XVII-V-I-1-56-77

Dated Lucknow, July 23, 1977

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rin Anutosh Adhiniyam, 1977 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of, 1977), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on July 23, 1977.

## THE UTTAR PRADESH DEBT RELIEF ACT, 1977

(U. P. ACT NO. 4 OF 1977)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

#### ACT

to provide relief from indebtedness to landless agricultural labourers, rural artisans, marginal farmers, small farmers and urban workers

It is hereby enacted in the Twenty-eighth Year of the Republic of India as follows:

### CHAPTER I Preliminary

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977.
- Short title, extent and commencement.

- (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
- (3) It shall be deemed to have come into force on February 21, 1977.
- 2. In this Act—

Definitions.

- (1) "annual household income", in relation to a debtor or a small farmer, means the aggregate of the annual income from all sources of all the members of his family, for the year 1976;
- (2) "appellate officer" means an officer appointed by the State Government for the purposes of hearing appeals under this Act;
  - (3) "Civil Court". includes-
    - (a) any court exercising jurisdiction under the Provincial Insolvency Act, 1920;
    - (b) a Nyaya Panchayat established under the U. P. Panchayat Raj Act, 1947;
    - (c) a court exercising powers under the Provincial Small Cause Courts Act, 1887;
- (4) "creditor" means a person from or in respect of whom a debtor or a small farmer has borrowed or incurred a debt, and includes the heirs of such person;
- (5) "debt" includes all liabilities owing to a creditor in cash or kind, secured or unsecured, payable by a debtor or a small farmer under a decree or order of a civil court or otherwise, and subsisting on the date of commencement of this Act, whether due or not;
- (6) "debtor" means a landless agricultural labourer, a marginal farmer, a rural artisan or an urban worker who owes a debt, but does not include a small farmer;
- (7) "family", in relation to a debtor, means the debtor, the wife or husband, as the case may be, of such debtor and the unmarried minor children of either or both of them;
- (8) "landless agricultural labourer" means a person who on the date of commencement of this Act, does not hold any land and whose principal means of livelihood is manual labour on agricultural land, and includes a person who follows any one or more of the following occupations in the capacity of a labourer on wages, whether paid in cash or in kind or partly in cash and partly in kind, namely—
  - (a) farming, including cultivation and tillage of soil;

- (b) dairy farming;
- (c) production, cultivation, growing and harvesting of any horticultural commodity;
  - (d) raising of livestocks, bees or poultry; and
- (e) any practice performed on a farm as incidental to or in conjunction with farm operations (including any forestry or timbering operations) and preparation for market and delivery to a cold storage or other warehouse or to market or to carriage for transportation of farm products;
- (9) "marginal farmer" means a person residing in a village who on the date of commencement of this Act, holds agricultural land not exceeding one hectare of unirrigated land and whose principal means of livelihood is income from agricultural land or by manual labour on such land, and includes a person cultivating land as an asami or as a share-cropper;
- (10) "rural artisan" means a person residing in a village who on the date of commencement of this Act, does not hold any agricultural land, and whose principal source of livelihood is manual labour connected with—
  - (a) the production or repair of traditional tools, implements and other articles or things used for agriculture or purposes ancillary thereto; or
  - (b) the practice of any other craft either by own labour or by labour of the members of his family;
- (11) "small farmer" means a person residing in a village who, on the date of commencement of this Act, holds unirrigated land exceeding one hectare but not exceeding two hectares, and whose principal source of livelihood is income from agricultural land or by manual labour on such land and includes a person cultivating land as an asami or as a share-cropper;
  - (12) "urban worker" means a person,—
    - (a) who does not reside in a village; and
    - (b) whose family on the date of commencement of this Act, does not hold any immovable property; and
    - (c) whose principal source of livelihood is manual labour (including the practice of any craft) either by himself or by the members of his family; and includes a rickshaw puller or scavenger, but does not include a person who—
      - (i) has in both the financial years ending on March 31, 1975 and March 31, 1976 been assessed to income tax under the Income Tax Act, 1961; or
      - (ii) has in both financial years ending on March 31, 1975 and March 31, 1976 been assessed to sales tax under the U. P. Sales Tax Act, 1948 or under the Central Sales Tax Act, 1956;
- (13) "village" shall have the meaning assigned to it in clause (25) of section 3 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

Explanation I—For the purposes of clause (7) 'minor' means a person who has not completed his or her age of eighteen years.

Explanation II—For the purposes of clauses (9) and (11), one hectare of irrigated land shall be equated to two hectares of unirrigated land.

Explanation III—The expressions "irrigated land" and "unirrigated land" shall have the meaning respectively assigned to them in the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960.

3. It is hereby declared that the provisions of this Act are for giving effect to the policy of the State towards securing the principles specified in clauses (b) and (c) of Article 39 of the Constitution.

Declaration.

#### CHAPTER II

## Relief to debtors

4. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in any contract, decree or other instrument having force by virtue of any such law and save as otherwise expressly provided in this Act—

Discharge of debts.

- (a) every debt, together with any interest, payable on the date of commencement of this Act, by a debtor whose annual household income does not exceed two thousand and four hundred rupees, shall with effect from the date of such commencement, be deemed to be wholly discharged;
- (b) every debt payable on the date of such commencement by a debtor whose annual household income exceeds two thousand and four hundred rupees shall with effect from the date of such commencement be deemed to be wholly discharged, if—
  - (i) he had, in the discharge of his debt, paid a sum exceeding or equivalent to double the amount of the debt at any time before the commencement of this Act; or
  - (ii) he, in the discharge of his debt, pays, after the dat: of such commencement a sum which together with any sum already paid in the discharge of such debt, is equivalent to double the amount of the debt.

Explanation—Nothing in this section shall be construed to entitle any debtor to the refund of any part of a debt already repaid by him or recovered from him before the commencement of this Act.

5. Where any debt payable by a debtor has been discharged under section 4, then, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in any contract, decree or other instrument, the following consequences shall, with effect from the date of such discharge, ensue, namely—

(a) no such debt shall be recoverable from a debtor, or from or against any of his movable or immovable property, nor shall any such property be liable to be attached and sold or proceeded against in any manner in the execution of any decree or order relating to such debt;

(b) no civil court shall entertain any suit or proceeding against such debtor for the recovery of any debt including interest, if any:

Provided that where a suit or proceeding is instituted jointly against such debtor and any other person, nothing in this clause shall apply to the maintainability of a suit or proceeding in so far as it relates to such other persons;

(c) all suits and proceedings, including appeals, revisions, attachment or execution proceedings, pending on the date of commencement of this Act, for the recovery of any such debt against such debtor shall abate:

Provided that nothing in this clause shall apply to the sale of-

- (i) any movable property, held and concluded before such commencement; or
- (ii) any immovable property, confirmed before such commencement;
- (d) every debtor undergoing detention in a civil prison in execution of any decree passed in respect of any such debt shall be released forthwith:
- (e) every movable property pledged by a debtor shall stand released in his favour and the creditor shall, if in possession of such property be bound to return the same to the debtor.
- 6. (1) Every creditor referred to in clause (e) of section 5 shall, within such period as may be prescribed, furnish to the Tahsildar having jurisdiction over the area where such creditor has his ordinary place of business, a statement in such form as may be prescribed containing the names of all the

Creditors to file

Consequence of discharge of debt.

persons who have pledged movable property with him, the nature and description of such property, the amount advanced and due as on the commencement of this Act, the rate of interest and such other particulars as may be prescribed.

- (2) A debtor referred to in clause (e) of section 5 may also make an application to the Tahsildar having jurisdiction over the area where his creditor has his ordinary place of business for an order for the return of the movable property pledged by the debtor.
- (3) On receipt of a statement under sub-section (1) or an application under sub-section (2), and after such inquiry conducted in the manner prescribed, the Tahsildar shall by order, determine—
  - (i) where a statement has been furnished by the creditor under subsection(1), which of the persons who have pledged movable property with him are entitled to relief under section 5; and
  - (ii) where an application has been made by the debtor under subsection (2), whether the debtor is entitled to relief under section 5;

and direct the creditor to produce, on or before the date specified in the order, the movable property pledged by such debtor.

- (4) Where the movable property pledged by the debtor is in the possession of any transferee of the creditor, the creditor shall redeem the said property from such transferee and produce it on or before the date specified in the order referred to in sub-section (3).
- (5) If the creditor fails to produce the movable property as directed in the order under sub-section (3)—
  - (a) the Tahsildar may enter any premises of the creditor or of the transferee of the creditor other than a bank referred to in clause (d) or clause (e) of section 25, and search and seize the said property; and
    - (b) where the movable property is in the possession of any of the banks referred to in clause (d) or clause (e) of section 25, the Tabsildar shall—
      - (i) by an order, direct the said bank to deposit, on or before the date specified in the order, the movable property with the Tahsildar together with a statement specifying the amount due to the said institution in respect of the said property and simultaneously issue a certificate to the said bank to the effect that the amount due to the said bank in respect of the said property shall be recovered from the creditor as if it were an arrear of land revenue and paid to the said bank; and
      - (ii) on the said bank depositing the said property with the Tahsildar, acknowledge in writing the receipt of the movable property and proceed to recover from the creditor such amount as is due to the said bank in respect of the said property as if it were an arrear of land revenue, and on such recovery, pay the same to the said bank.
- (6) After such production or recovery or deposit of the movable property pledged, the Tahsildar shall deliver the said property to the debtor.
- (7) Pending determination of the question under sub-section (3), no creditor or the transferee of the creditor shall sell or pledge or otherwise dispose of any moveable property pledged by the debtor.
- (8) Notwithstanding anything contained in sub-section (5) or in any other law for the time being in force, the Tahsildar—
  - (a) may enter any premises of the creditor or of the transferee of the creditor other than a bank referred to in clause (d) or clause (e) of section 25 and search and seize the movable property pledged by debtors and arrange for their safe custody;
  - (b) shall proceed to determine which of the mevable properties so seized are to be released to the debtors and pass orders accordingly.
- (9) The provisions of sections 100 and 165 of the Code of Criminal Procedure, 1973, relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under sub-sections (5) and (8).

7. Every order of the Tahsildar under section 6 shall, subject to appeal under section 8, be final and shall not be called in question in any court.

Finality of Tabsildar's order.

8. (1) Any person aggrieved by an order made by the Tahsildar under section 6 may, within such period and in such manner as may be prescribed, prefer an appeal to the appellate officer.

Appeal against Tahsildar's order.

(2) In deciding the appeal, the appellate officer shall follow such procedure as may be prescribed and the decision of such officer on such appeal shall be final and shall not be called in question in any court.

Special provisions regarding interest.

9. (1) No interest shall accrue in respect of any debt payable by a debtor, after the commencement of this Act.

(2) The interest payable on any debt for any period before such commencement shall be calculated at the rate applicable to the debt under the law, custom or contract, or at a rate of six per cent, per annum, whichever is less, and credit shall be given for all sums paid or credited first towards interest and the balance, if any, towards the principal.

#### CHAPTER III

# Moratorium on debts recoverable from small farmers

10. (i) No suit for recovery of any debt or part thereof including interest thereon due from a small farmer on the date of commencement of this Act shall be instituted against him and every suit for such relief already pending shall remain stayed for a period of one year from the date of such commencement.

Stay of recovery of certain debt.

- (2) All proceedings in execution of any decree for money or proceedings for making final any preliminary decree for foreclosure or sale, or proceedings in execution of any final decree for sale passed by a civil court on the basis of a liability incurred before the date of such commencement in which the judgement-debtor or defendant is a small farmer shall be stayed against judgement-debtor or defendant on an application made by him for a period of one year from the said date.
- (3) All attachments of growing crops, agricultural produce, live-stock and other movable property of a perishable nature, made in execution of decree stayed under sub-section (1) or sub-section (2) shall stand withdrawn.
- 11. (1) Every small farmer undergoing detention in a civil prison in execution of any decree or order in respect of a debt shall be released.

Release from detention.

(2) No small farmer shall in any case be liable to arrest or detention in civil prison in execution of any such decree for a period of one year from the commencement of this Act.

i

2)

12. The State Government may by notification extend the period of one year referred to in section 10 or section 11 by a further period not exceeding one year.

Power of State Government to extend the period of stay.

13. The provisions of section 9 shall mutatis mutandis apply to a small farmer as they apply to a debtor.

Certain provisions to apply to small farmers.

14. Every transfer of property made by a small farmer against whom proceedings in execution have been stayed under this Act or under any of the enactments repealed by sub-section (1) of section 36 shall be voidable at the option of the creditor whose claim against such small farmer is defeated or delayed.

Certain transfer to be voidable.

15. In computing the period of limitation for any suit, appeal, application or other proceeding for the recovery of a debt (including an application for the execution of a decree passed in such suit, appeal or proceeding), the period during which such proceedings remained barred or stayed under this Chapter shabe excluded.

Exclusion of period of limitation,

## CHAPTER IV

# Scaling down of debts of small farmers

16. The State Government may for the purposes of settlement of debt between the small farmers and their creditors, by notification, appoint Debt Settlement Officers and may like-wise define the areas within which they shall exercise jurisdiction.

Appointment of debt settlement officers.

Application for determination of debt.

- 17. (1) A small farmer may, within a period of six months from the date of commencement of this Act apply to the Debt Settlement Officer for the area in which such farmer resides or holds any land for determination of his debts.
- (2) Unless the small farmer has already made an application under subsection (1), any of his creditors may like-wise make an application to the same authority to which, and in the manner in which, the small farmer might bave applied under that sub-section for the determination of the debt in question.
- (3) Every application under this section shall be signed and verified by the applicant in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure, 1908 for signing and verification of plaints:

Provided that in the case of an application under sub-section (2), the creditor shall be bound to verify the contents only in so far as they are known to him.

(4) If applications are made to more than one authority in respect of the same debt, such application shall, subject to such rules as may be made in this behalf, be transferred to and dealt with by one authority.

Particulars to be stated in application.

- 18. Every application presented by a small farmer under section 17 shall contain the following particulars, namely—
  - (a) the name of the small farmer and the place where he resides or holds land;
    - (b) the name and address of the creditor;
  - (c) the particulars of all debts payable by a small farmer to each creditor;
  - (d) the particulars of all properties of the small farmer together with the approximate value of such property and the place or places at which they are to be found;
  - (e) the particulars of the annual household income of the small farmer, for the year preceding the year 1976.

Determination of debt.

- 19. (1) On receipt of the application under section 17, the Debt Settlement Officer shall, after giving an opportunity to the parties concerned to appear and be heard, determine in respect of the debt in question the amount of the principal and the amount of interest at the rate of six per cent per annum up to the date of commencement of this Act.
- (2) Every decision of the Debt Settlement Officer determining the amount of debt under sub-section (1) shall, subject to the result of an appeal under section 23, be final and shall not be called in question in any civil court.
- (3) The procedure to be followed by the Debt Settlement Officer in any proceeding under this Chapter shall be such as may be prescribed.

Maximum liability of a small' farmer. 20. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, or in any contract, decree, or other instrument, the liability of a small farmer to repay any debt together with interest shall not exceed twenty per cent of the gross value of agricultural produce for the year preceding the year in which the application under section 17 is made multiplied by seven and such liability shall be spread over a period of seven years to be reckoned from the date of its determination under section 19.

Excess amount of debt to be discharged.

- 21. Every debt in excess of the amount determined under section 19 to be payable by a small farmer shall with effect from the date of such determination, stand discharged and shall not be recoverable.
- Bar to certain suits.
- 22. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force—
  - (a) no civil or revenue court shall entertain a suit, application or proceeding against a small farmer in respect of any debt to which the provisions of this Chapter apply;

- (b) every such suit, application or proceeding pending before any such court on the date of commencement of this Act shall abate;
- (c) no decree of a civil court in relation to the debt to which the provisions of this Chapter apply shall be executed.
- 23. (1) Any person aggrieved by an order determining the debt under section 19 may, within thirty days from the date of such determination, prefer an appeal in the prescribed manner to the appellate officer.
- (2) The procedure to be followed by an appellate officer and the fees payable in respect of such appeal shall be such as may be prescribed.
- (3) The appellate officer may, after giving the parties an opportunity of being heard either confirm or modify the order appealed against or direct the Debt Settlement Officer to take such action as the appeallate officer thinks fit.
- (4) Every order made by the appellate officer under this section shall be final and shall not be called in question in any court.
- 24. Every order of the appellate officer under section 23, and subject thereto, every order of the Debt Settlement Officer determining a debt payable by a small farmer shall be executed by the Munsif having territorial jurisdiction as if it were a decree or order passed by that court.

Execution of order of appeallate officer and the Debt Settlement Officer.

Appeal.

#### CHAPTER V

#### Exemptions

25. Nothing in this Act shall affect any debt or other liabilities (including any liability to pay interest) of a debtor or a small farmer falling under any of the following heads, namely—

Provisions of the Act not to apply to certain debts or liabilities.

- (a) any debt (including any tax, cess or fee) due to the Central Government, any State Government or a local authority;
- (b) any debt due to a Government Company within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956;
- (c) any debt due to the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956, or any other corporations established by or under any law for the time being in force;
  - (d) any debt due to-
    - (i) a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949;
    - (ii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955;
    - (iii) a subsidiary bank, as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;
    - (iv) a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970;
    - (v) any banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949;
    - (vi) the Agricultural Refinance and Development Corporation constituted under the Agricultural Refinance and Development Corporation Act, 1963;
    - (vii) the U. P. State Agro-Industrial Corporation Ltd., a company incorporated under the Companies Act, 1956;
    - (viii) the Agricultural Finance Corporation Ltd., a corporation incorporated under the Companies Act, 1956;
    - (ix) a Regional Rural Bank established under the Regional Rural Banks Act, 1976; and
    - (x) any other financial institutions notified by the State Government as a bank for the purposes of this Act:

- (e) any debt due to a co-operative society including a land development bank registered or deemed to be registered under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965;
- (f) any rent due in respect of any property including agricultural land let out to a debtor or a small farmer;
  - (g) any liability arising out of breach of trust or any tortious liability;
- (h) any liability in respect of wages or remuneration due as salary or otherwise for services rendered;
- (i) any liability in respect of maintenance whether under a decree of civil court or otherwise;
- (j) any debt which represents the price of property whether movable or immovable purchased by a debtor or a small farmer or any amount due under a bire purchase agreement;
- (k) any advance of money given to the debtor or a small farmer by a person as the price of goods or property to be sold later on ;
- (1) any advance of wages whether in cash or in kind, or partly in cash or partly in kind, made to a debtor or a small farmer at his instance by a person in pursuance of a contract of service for a specified period:

Provided that the rate of wages settled is not less than the minimum rate of wages fixed by law;

- (m) any compensation payable on account of partition or division of property or any compensation referred to in section 29-A of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953;
- (n) any advance of loan given to a debtor by his employer for any specific purpose, such as, for festival, medical treatment, meeting any educational, marriage or funeral expenses and the like;
  - (o) any sum recoverable as arrears of land revenue.

#### CHAPTER VI

#### Miscellaneous

Penalty.

- 26. (1) Every person who, after the date of commencement of this
  - (a) recovers any debt or part thereof including interest from a debtor or a small farmer in contravention of the provision of this Act; or
  - (b) intentionally makes any false statement before any officer or authority in proceedings under this Act; or
  - (c) intentionally produces before any officer or authority any false document; or
    - (d) abets any such act,

shall, on conviction, be liable to imprisonment for a term which may extend to six months or fine which may extend to two thousand rupees or with both.

- (2) Every person who fails to furnish the statement referred to in sub-section (1) of section 6, or to comply with the order made or direction given under the said section or otherwise contravenes the provisions of the said section shall be liable to imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to Rs. 5,000 or with both.
- (3) Every offence punishable under sub-section (1) or sub-section (2) shall be cognizable.
- (4) Every offence punishable under sub-section (1) shall be tried in a summary way and the provisions of sections 262 to 265 (both inclusive) of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall, as far as may be, apply to such trial.

Offlence by companies.

27. (1) Where an offence under this Act has been committed by a company every person, who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the busines

of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the Commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer of the company, shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation-For the purpose of this section-

- (a) 'company' means any body corporate and includes a firm or other association of individuals, and
  - (b) 'director' in relation to a firm means a partner in the firm.
- 28. In any suit or proceeding, the burden of proving that the debtor is not entitled to the protection of this Act shall, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, lie on the creditor.

Burden of proof.

29. (1) A Tahsildar or a Debt Settlement Officer or an Appellate Officer may exercise all such powers connected with the summoning and examining of parties and witnesses and with the production of documents as are conferred on a civil court by the Code of Civil Procedure, 1908.

Powers of Officers.

- (2) Every proceeding before an officer referred to in sub-section (1) shall be deemed to be a judicial proceeding for purposes of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.
- 30. If any question arises in any proceeding under this Act whether a loan or liability is a debt or not or whether a person is a debt or or a small farmer or not, the decision of the Tahsildar or the Debt Settlement Officer, as the case may be, shall, subject to the result of an appeal under section 8 or section 23, be final, and shall not be called in question in any court.

Finality of decisions.

31. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no civil court shall entertain—

Jurisdiction of civil court.

- (a) any suit, application or proceeding to question the validity of any procedure or the legality of any order passed under this Act;
- (b) any suit or application for injunction affecting any proceeding under this Act;
- (c) any appeal or revision otherwise than in accordance with the provisions of this Act.
- 32. No party to any proceeding under this Act shall be entitled to be represented by a legal practitioner.

Appearance efore Debt Settlement Officer.

Explanation—In this section the expression 'legal practitioner' shall have the meaning assigned to it in section 2 of the Advocates Act, 1961.

33. The provisions of sections 4, 5 and 12 of the Limitation Act, 1963, shall apply to the proceedings under this Act.

Application of Limitation Act.

34. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notified order, make such provision or give such direction not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty.

Power to remove difficulty.

- (2) No order under sub-section (1) shall be issued after two years from the date of commencement of this Act.
- 35. The State Government may, by notification, make rules for carrying the purposes of this Act.

Power to make rules.

Repeal and say-

- 36. (1) The Uttar Pradesh Landless Agricultural Labourers Debt Relief Act, 1975, the Uttar Pradesh Rural Weaker Sections (Moratorium on Recovery of Debts) Act, 1975, and the Uttar Pradesh Debt Relief (Second) Ordinance, 1977, are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under any of the enactments repealed by sub-section (1) shall be deemed to have been also find of 13 of 13

स्राज्ञा से, कैलाश नाथ गोयल, : सचिव।